

अज अदालत

अतिरिक्त जिला कलक्टर

मुकाम

जोधपुर (ग्रामीण)

अपीलार्थी

बनाम

प्रत्यर्थागण

बाबुलाल पुत्र हाउड़ा उर्फ हाऊलाल विश्नोई,
निवासी ग्राम जुड़ तहसील बावड़ी जिला
जोधपुर वगैरा।


तहसीलदार बावड़ी, जिला जोधपुर।

किस्म मुकदमा

राजस्व अपील

नं. 437 सन्

2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व इस हुकम तारीख अहकाम की तारीख में जारी हुए
19.10.2023	<p>राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त 2023 की अनुपालना में जिला जोधपुर (ग्रामीण) का नवगठन होने तथा न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) के आदेश क्रमांक/डी.एम./रीडर/2023/01 दिनांक 05.09.2023 की अनुपालना में प्रकरण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से प्रकरण सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली आईन्दा दिनांक 26.03.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) </p> <p>26.3.24 पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान P.O. महो. आज <u>जुड़</u> लेने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>10-6-24</u> को पेश हों। <u>B. B.</u></p> <p>10/6/24 पत्रावली आज पेश हुई अपीलार्थी अधि उपस्थित। अपीलार्थी अधि ने वदस हेतु शमन चारहा पत्रावली का अवलोकन किमत (पत्रावली पिछले 1 वर्ष से वदस हेतु किमत से न्यायप्रदित में वदस हेतु अतिम अवसर विनाजरता है। पत्रावली वास्ते वदस दिनांक 24/6/24 को पेश हो।</p> <p>24/6/24 पत्रावली पेश हुई अपीलार्थीगण अधि उपस्थित। अपीलार्थी पक्ष अधि की गत पेशी</p>	



Order Sheet (Subsequent)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

CNR NUMBER

2023/919

जोधपुर (ग्रामीण)

Number of Case

राजसूत डीपील

437

Year

2023

काबूलाल

Versus

रतन लाल काबड़

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	<p>पर बहस हेतु अंतिम अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः पत्रावली अदम हाजीब अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अफिलेख ऑफिसर की उक्ति के शान्त हो गया जावे। पत्रावली फॉर्मल शुक्र होकर दाखिल धमक है।</p> <p>अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)</p>	